

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर


प्रकरण संख्या ..... 152/2023

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

बनाम

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए नम्बर 152/सन् 2023

व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03/07/23	<p>तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के खसरा नम्बर 354 रकबा 1.8445 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 हरडा में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.5118 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी नकल नक्शा, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का पाटन परिशिष्ट-ए एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार किशनगढ़ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल रहे। तहसीलदार किशनगढ़ आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में गै0मु0 रास्ता अमल दरामद करे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>किशनगढ़ (अजमेर)</b> </p>	